5 12/17

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार आवाज लगवाई गई किन्तु वादी असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आया। अतः प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार हो।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
[illegible] (म०प्र०)